

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम अनूपगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

बनाम ..... 21st अपील

प्रकरण अन्तर्गत धारा ..... 88, 188 R.A.

सुरेन्द्र सिंह

प्रकरण सं. .... 76 ..... सन 2022

जी.सी.एम.एस. नं. 2022/139

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

जारी तामिल का नम्बर/दिनांक

6/8/22

आज प्रार्थी/वादी की ओर से एक प्रार्थना/वाद पत्र प्रस्तुत होने पर यह पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी/प्रतिवादी को जरिये नोटिस/सम्मान तलब करके पत्रावली दिनांक 27.6.22 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़

16/6/22

आज यह पत्रावली वादी को पत्रावली पेश करने पर पेशी में भी गई। वादी ने पत्रावली पेश कर निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से राक्षसता हो गया है। प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। तथा नोटिस के आचार पर प्रकरण को खारिज करने का निवेदन किया। अतः राक्षसिता के आचार के आचार पर वाद-वर्षा इति एतत् पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निपटारा दायित्व दफतर होकर नम्बर से करे।

Not present

श्रीमती राज

(प्रियंका तलानिया)  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़